न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 63/2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/134
दायर दिनांक :– 13.04.2023 निर्णय दिनांक :– 22.05.2026

01. मोहम्मद सरीफ पुत्र कासम खां उर्फ कायम खां जाति मुसलमान निवासी खाजूसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

वादीगण

बनाम

1. जैनी पुत्री मोहम्मद सरीफ जाति मुसलमान निवासी खाजूसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. जुम्मीखातु पुत्री मोहम्मद सरीफ जाति मुसलमान निवासी खाजूसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. नसीबों पुत्री मोहम्मद सरीफ जाति मुसलमान निवासी खाजूसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. मंगे खां पुत्र मोहम्मद सरीफ जाति मुसलमान निवासी खाजूसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. रमजान खां पुत्र मोहम्मद सरीफ जाति मुसलमान निवासी खाजूसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. सफीयतखातु पत्नी मोहम्मदसरीफ जाति मुसलमान निवासी खाजूसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. सलीम खां पुत्र मोहम्मद सरीफ जाति मुसलमान निवासी खाजूसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. हकीम खां पुत्र मोहम्मद सरीफ जाति मुसलमान निवासी खाजूसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि.प्रार्थी
2 श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 ता 8

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है कि प्रार्थी खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम घंटियाली वर्तमान नवसृजित ग्राम खाजूसर पटवार क्षेत्र खाजूसर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 7/7 रकबा 2.2662 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि राजकीय खाता में दर्ज रही जिस पर प्रार्थी का व उससे पूर्व प्रार्थी के पूवजों का कब्जा व काश्त वक्त भू–प्रबन्ध से पूर्व से चला आ रहा था तथा प्रार्थी को समय पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 व 91 की सपठित धारा 90ए के अधीन नोटिस प्रदान किये गये और प्रार्थी के नाम से ही समय–समय पर उक्त वादग्रस्त भूमि पर कबजा होने से जुर्माना भी लगाया गया जिसकी अदायगी प्रार्थी द्वारा समय–समय पर की गई थी। मूल नोटिस व जुर्माना रसीदे प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से खसरा परिवर्तनशील भी प्रार्थी के नाम से ही तैयार की गई थी। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का व उससे पूर्व प्रार्थी के पूर्वजों का वक्त भू–प्रबन्ध से पूर्व से कब्जा व काश्त होने से समस्या सामाधान अभियान 1998 में

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 7/7 रकबा 14–00 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम से नियमन की गई थी जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1188 मौजा घंटियाली प्रार्थी के नाम से गैर खातेदार के रूप में भरा जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 1413 मौजा घंटियाली भी स्वीकृत किया गया था। प्रार्थी के दस्तावेजात में प्रार्थी की वल्दियत कायम खां दर्ज है जबकि उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की वल्दियत लिपिकीय भूल से कासम खां दर्ज कर दी है इसलिये प्रार्थी ग्राम खाजूसर पटवार क्षेत्र खाजूसर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 7/7 रकबा 2.2662 हैक्टेयर में दर्ज प्रार्थी की वल्दियत कासम के स्थान पर कायम खां दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं की है। लेकिन अभी दिनांक 02.04.2023 को प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि का रख रखाव कर रहे थे तभी अप्रार्थीगण ने धमकी दी की तुम्हें उक्त भूमि से बेदखल कर देंगे। अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल हो जाते है जो प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात होगा, जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं किया जा सकता है और नही क्षतिपूर्ति ही संभव है। इसिलये अप्रार्थीगण को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व उपरोक्त वर्णित भूमि में इस आश्य की जारी जावे कि प्रार्थी के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की और से अधिवक्ता श्री करणीसिंह ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेश उक्त दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

नामान्तरकरण संख्या 1188 मौजा घंटियाली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मोहम्मद सरीफ पुत्र कासम खां के नाम नियमन के जरिये दर्ज की गई। खातेदार मोहम्मद सरीफ के फौत होने पर जरिये विरासत नामान्तरकरण वारिसान के नाम दर्ज की गई जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मोहम्मद सरीफ के वारिसान के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादीगण के वाद में जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

वादग्रस्त भूमि मोहम्मद सरीफ पुत्र कासम खां के नाम नियमन के जरिये दर्ज की गई। खातेदार मोहम्मद सरीफ के फौत होने पर जरिये विरासत नामान्तरकरण वारिसान के नाम दर्ज की गई जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मोहम्मद सरीफ के वारिसान के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को आराजी के उपभोग उपयोग इत्यादि सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

(सत्य नारायण—I आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)